राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/11/ 7446 दिनांक 17/03/2026

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः- IFMS 3.0 में कर्मचारियों के Service Details का अद्यतन/सत्यापन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 6664 दिनांक 02.02.2026

महोदय,

IFMS 3.0 में वेतन भत्तों एवं अन्य दावों का नियमन System defiend नियमों के अनुसार सुनिश्चित किए जाने हेतु लागू किए Validations को प्रभावी बनाने के लिये कर्मचारी / अधिकारियों की Service details को IFMS 3.0 पर अपडेट किए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को समय–समय पर निर्देशित किया गया है।

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 02.02.2026 द्वारा पुनः यह निर्देशित किया गया था कि सभी विभाग / आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन सभी कार्मिकों की कर्मचारियों की Service Details, Service Category, Sub-Service Category, Designation as per service cadre आदि IFMS 3.0 में Service Cadre के अनुसार सही रूप से भरकर सत्यापित एवं अद्यतन किए जाएँ। साथ ही **जिन कार्मिकों का डेटा अपडेट नहीं होगा उनका माह मार्च 2026 देय माह अप्रैल 2026 का वेतन बिल नहीं बनाया जा सकेगा, जिसके लिए आहरण वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी होगें।**

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 02.02.2026 के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सभी विभाग / आहरण वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों का विवरण / Service Details का शीघ्रातिशीघ्र सत्यापन / अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करावें **ताकि कार्मिकों का माह मार्च 2026 देय माह अप्रैल 2026 का वेतन आहरण प्रभावित नहीं हो।**

भवदीया

17/3/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/11/ 7446 दिनांक 17/03/202

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी
6. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
7. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को उक्त निर्देश IFMS 3.0 सिस्टम पर डीडीओं लॉगिन में News के रूप में भी प्रदर्शित करावें।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)